विविध बैंक प्रकरण सं0 27/2020 (RCMS 2020/00076) ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा सतराना जिला श्रीगंगानगर (वर्तमान पंजाब नेशनल बैंक) बनाम मांडीवाल ब्रदर्स जरिये प्रो. प्रवीण कुमार पुत्र भागीरथ दुकान नं. 122, धान मण्डी, नई मण्डी, घड़साना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.03.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के प्राधिकृत कार्यकत्ता श्री संजय कुमार उपस्थित नहीं हुए।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 20.02.2020 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी मांडीवाल ब्रदर्स–प्रो. प्रवीण कुमार को ऋण सुविधा के रूप में 50.00/–लाख रूपये (अखरे रूपये पच्चास लाख मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था, ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीगण प्रवीन कुमार, राजेश्वर एवं अंकित की सम्पत्ति Shop No. 129 size 800 Sqft vide sale/release/lease deed No. 201703203101667dated 04.07.2017 at sector Workshop Market, New Mandi Gharsana में स्थित प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणियों के नाम दिनांक 31.12.2019 को 58,92,838/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थी को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 02.02.2019 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड डाक दिनांक 08.02.2019 को भिजवाये गये है, इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थीगण ऋणियों प्रवीन कुमार, राजेश्वर एवं अंकित द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी उक्त सम्पति Shop No. 129 size 800 Sqft sector Workshop Market, New Mandi Gharsana का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाये जाने की प्रार्थना की थी।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

चूंकि दिनांक 10.03.2021 को प्रार्थी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि उनके द्वारा सरफेसी अधिनियम के अन्तर्गत ऋणी मै. मंडीवाल ब्रदर्स के संबध में पूर्व में प्रकरण संख्या 27/2020 दायर किया गया था और उपरोक्त प्रकरण में भूलवश सम्बन्धित सभी ऋणियों के नाम शामिल नहीं हो पाये थे इसलिए उक्त प्रकरण को पुनः सभी ऋणियों के नाम शामिल करते हुए पुनः प्रस्तुत करने की प्रार्थना की है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार समस्त ऋणियों/गारंटरों को प्रकरण में पार्टी बनाया जाना आवश्यक है। प्रार्थी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के प्रार्थना पत्र दिनांक 10.03.2021 के अनुसार उनके द्वारा समस्त ऋणियों/गारंटरों को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए प्रार्थी बैक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 20.02.2020 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 खारिज किया जाता** है। प्रार्थी बैंक नये सिरे से वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अन्तर्गत सभी आवश्यक पक्षकारों को शामिल करते हुए प्रकरण पुनः पेश करने के लिए स्वतन्त्र है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर